सं. 12011/07(ii)/2011-स्था.(भत्ता)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

*****

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- बाल शिक्षा भत्ता -

......

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 सितम्बर, 2008 के का. ज्ञा. सं. 12011/03/2008-स्था. (भत्ता) के जारी किए जाने एवं उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर स्पष्टीकरण जारी किए जाने के पश्चात बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी के विभिन्न पहलुओं के संबंध में बहुत से संदर्भ प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से इन संदर्भों पर विचार करने के पश्चात इस कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख से यथानुपात आधार पर निम्नलिखित संशोधन/परिवर्तन किए गए हैं:-

(i) शिक्षा शुल्क के एवज में स्कूल/संस्थान द्वारा वसूल किया गया विकास शुल्क/अभिभावक अंशदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सरकारी कर्मचारी को इस आशय को प्रमाणित करना होगा कि स्कूल/संस्थान द्वारा शिक्षा शुल्क वसूल नहीं किया गया है।

(ii) दिनांक 2.9.2008 के का. ज्ञा. के पैरा 1 (ड़) में उल्लिखित मदों के अतिरिक्त निःशक्त बच्चे की विशेष आवश्यकता के लिए स्कूल/संस्थान द्वारा वसूल किए गए शुल्क, की स्कूल द्वारा विधिवत प्रमाणित किए जाने पर, प्रतिपूर्ति की जाएगी। वह स्कूल/संस्थान केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त होना चाहिए या उस स्कूल का शुल्क इनमें से किसी प्राधिकारण द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

(iii) अनौपचारिक शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले निःशक्त बच्चों के लिए, दिनांक 11 नवम्बर, 2008 के का. ज्ञा. सं. 12011/03/2008-स्था. (भत्ता) में निर्दिष्ट न्यूनतम 5 वर्ष की आयु हटा दी गई है। अब से किसी भी बच्चे के लिए बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं होगी।

2. जिन मामलों में पहले जारी किए गए का. ज्ञा. के आधार पर प्रतिपूर्ति कर दी गई है उन मामलों को दोबारा आरम्भ करने की आवश्यकता नहीं है।

विभा

(विभा जी. मिश्रा)

निदेशक

दूरभाष:23092483

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

श्री देवेन्द्र सिंह सैनी